


Serial No. 3225016



DE 660994

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



डेवलपर एपीमेन्ट

आनन्द कुमार सिंह पुत्र स्व० ब्रह्मनन्द सिंह निवासी मकान नंबर सा. १८/१०६ए-२एन, अशोक नगर कालोनी, मौजा हाल, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी।
 विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व० ब्रह्मनन्द सिंह निवासी मकान नंबर सा. १८/१०६के, अशोक नगर कालोनी, मौजा हाल, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी।

.....प्रथम पक्ष/भक्त स्वामीगण

मेसर्स अदिश्री वैष्णो इन्फ्रा प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय बी-१६०२, गाईनिया स्ववायर, क्रासिंग रिपब्लिक, एन.एच.-२४, गाजियाबाद जस्टिडि निदेशक आशुतोष राय पुत्र स्व० सुरेश कुमार राय निवासी बी-१६०२, गाईनिया स्ववायर, क्रासिंग रिपब्लिक, एन.एच.-२४, गाजियाबाद (मो०न० ९४५४८४०९९९)

विदित हो कि सम्पत्ति जिसका सम्पूर्ण विवरण इस अनुबन्ध विलेख के परिशिष्ट-क में दिया जा रहा है, को प्रथमतः प्रथम पक्ष सं० १ ने अपने संयुक्त प्रदिशर के धनार्जन से अशोक सहकारी गृह समिति लि०

.....द्वितीय पक्ष/डेवलपरस
 निवे र अशुट रि
 [Signatures and Fingerprints]

वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानक नियमानुसार, प्रस्तावित निर्माण से संबंधित जो मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, के अनुसार उल्काकोटि के आवासीय भूखण्ड / बहुखण्डीय प्लॉटों का निर्माण करेंगे, जिससे प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से सहमत है।

2- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नवर्णित परिशिष्ट-क की सम्पत्ति पर बहुमंजिलीय आवासीय भवन/ बहुखण्डीय प्लॉटों के निर्माण की अनुज्ञा वाराणसी विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने की तिथि से सम्पूर्ण निर्माण आगामी ३ वर्ष ६ माह में पूर्ण करा लेगा व असामान्य परिस्थितियों में अतिरिक्त ६ माह उभय पक्षों के मध्य मान्य होगा।

3- यह कि निर्मित व अनिर्मित क्षेत्रफल का स्वामित्वपूर्ण व हस्तान्तरण युक्त विभाजन प्रथमतः चार मजिल तक इस प्रकार हो रहा है कि परिशिष्ट 'क' में वर्णित सम्पत्ति में प्रथम पक्ष को सम्पूर्ण निर्मित व अनिर्मित क्षेत्र व उससे संबंधित भूमि का आनुपातिक क्षेत्र का ४२ प्रतिशत भाग प्राप्त होगा व इसी प्रकार द्वितीय पक्ष को निर्मित व अनिर्मित क्षेत्र व उससे संबंधित भूमि का आनुपातिक क्षेत्र का ५८ प्रतिशत भाग प्राप्त होगा। इसी अनुपात में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष, निर्मित व अनिर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति पर निर्मित प्लॉटों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और उभय पक्ष को अपने-अपने हिस्से में दर आधी निर्मित भू-भाग उपरोक्तानुसार का हस्तान्तरण का अधिकार प्राप्त होगा जिसमें समस्त निर्मित भूभाग (प्लॉटों) के आनुपातिक भू-खण्ड (प्रपोर्टिनेट लैंड) का स्वामित्वपूर्ण विभाजन उपरोक्त अनुपात से उभय पक्षों के मध्य समान रूप से होगा। द्वितीय पक्ष भवन निर्माता "मेसर्स अटिन्नी बैणो इन्फ्रा प्रा०लि०" के एकअज डायरेक्टर श्री आशुतोष राय को आवासीय भूखण्डों / बहुखण्डीय प्लॉटों का विक्रय मूल्य प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर से संबंधित प्रस्तावित क्रेताओं को विक्रय विलेख निष्पादन करते हुए विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह शर्त निम्न प्रस्तर में दिये गये अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रभावशाली होगा।

यह कि इस अनुबन्ध विलेख के साथ कुल ६ मानचित्र संलग्न किये गये हैं जिसमें प्रथम संलग्न मानचित्र निर्दिष्ट आवासीय कक्षक सम्बन्धित किया गया है, जो परिशिष्ट (क) की सम्पत्ति को यथास्थान प्रदर्शित किया गया है व इसी प्रकार मानचित्र संख्या १,२ व ३ भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल जो आवासीय कक्षों के रूप में प्रदर्शित है व मानचित्र संख्या ४ व ५ प्लॉटों को यथास्थान प्रदर्शित करते हुए संलग्न किया गया है, परिशिष्ट (क) की सम्पत्ति पर प्रस्तावित निर्माण प्रस्तर ३ में अभिलिखित स्वामित्व के विभाजन से संबंधित, द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाना प्रस्तावित है एवं मानचित्र संख्या १,२ व ३ जो भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल के संबंध में हैं और जिसमें कुल निर्माण प्रत्येक तल पर ८००० वर्गफीट का होना है जिसमें प्रस्तर ३ में निश्चित किये गये स्वामित्व के अनुपातानुसार भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल के संबंध में हैं और जिसमें आच्छादित क्षेत्रफल ३३६० वर्गफीट यानी तीनों तलों पर कुल १००८० वर्गफीट व उससे संलग्न अनुपातिक भूभाग का स्वामित्व प्रथम पक्ष को प्राप्त होगा जिसमें ७२०० वर्गफीट आच्छादित क्षेत्र के मालिक स्वामी प्रथम पक्ष सं० १ आनन्द कुमार सिंह व शेष २८८० वर्गफीट प्रथम पक्ष सं० २ विनोद कुमार सिंह अपने-अपने स्वामित्व के अनुपात में हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व प्राप्त करेंगे जिसे संलग्न मानचित्र संख्या १,२ व ३ में ताल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है, पर स्वामित्वपूर्ण अधिकार बिना किसी अन्य के अपवर्जन के प्रथम पक्ष का होगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण मय कक्ष संख्या परिशिष्ट (ख) में इस अनुबन्ध विलेख के अन्त में दिया जा रहा है एवं इसी प्रकार परिशिष्ट (क) की सम्पत्ति पर प्रस्तावित निर्माण प्रस्तर ३ में अभिलिखित स्वामित्व के विभाजन से संबंधित, द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाना प्रस्तावित है एवं मानचित्र संख्या १,२ व ३ जो भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल के संबंध में हैं और जिसमें कुल निर्माण प्रत्येक तल पर ८००० वर्गफीट का होना है



Handwritten signatures and three fingerprints on the right side of the document.

(४)

जिसमें प्रस्तर ३ में निश्चित किये गये स्वामित्व के अनुपातानुसार भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल यानी प्रत्येक तलों पर कुल निर्मित आच्छादित क्षेत्रफल ५६४० वर्गफीट यानी तीनों तलों पर कुल १३९२० वर्गफीट व उससे संलग्न अनुपातिक भूभाग का स्वामित्व प्रथम पक्ष को प्राप्त होगा जो अपने स्वामित्व के अनुपात में हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व प्राप्त करेगा जिसे संलग्न मानचित्र संख्या ९.२ व ३ में हरे रंग की तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है, पर स्वामित्वपूर्ण अधिकार बिना किसी अन्य के अपवर्जन के द्वितीय पक्ष का होगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण मय कक्ष संख्या परिशिष्ट (ग) में इस अनुबन्ध विलेख के अन्त में दिया जा रहा है।

यह कि इसी प्रकार मानचित्र संख्या ४ व ५ यानी तृतीय व चतुर्थ तल जो आवासीय प्लॉटों के रूप में प्रदर्शित हैं और जिसमें कुल निर्माण प्रत्येक तल पर ८६०० वर्गफीट यानी कुल तलों पर निर्माण का योग १७२०० वर्गफीट का होना है जिसमें प्रस्तर ३ में निश्चित किये गये स्वामित्व के अनुपातानुसार कुल आच्छादित क्षेत्र का ४२ प्रतिशत यानी ७२२४ वर्गफीट पर हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व प्रथम पक्ष का व शेष १९७६ वर्गफीट आच्छादित क्षेत्रफल पर हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व द्वितीय पक्ष का बिना एक दूसरे के अपवर्जन के प्राप्त होगा जिसका विवरण विस्तृत रूप से इस अनुबन्ध विलेख के अन्त में परिशिष्ट (ख) में प्रथम पक्ष के हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व वाले आच्छादित क्षेत्रफल मय प्लॉट संख्या व संलग्न मानचित्र संख्या ४ व ५ में यथास्थान लाल रंग की तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है व इसी प्रकार द्वितीय पक्ष को जो प्रस्तावित आच्छादित प्लॉट पर हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व निर्माणोपरान्त प्राप्त होगा, को विस्तृत रूप से इस अनुबन्ध विलेख के अन्त में परिशिष्ट (ख) में प्लॉटों की संख्या व उससे संलग्न मानचित्र संख्या ४ व ५ में यथास्थान हरे रंग की तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है, पर प्राप्त होगा।

यह कि प्रस्तावित सम्पूर्ण निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चों से उच्च कोटि का किया जाना है, साथ ही साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण से जो मानचित्र विधि सम्मत रूप से स्वीकार किया जायेगा, के अनुसार प्रस्तावित निर्माण का यदि आच्छादित क्षेत्रफल कक्षों (भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल) व प्लॉटों (तृतीय, चतुर्थ तल) का क्षेत्रफल परिवर्तित होता है तो उभय पक्षों के स्वामित्व का विभाजन प्रस्तर-३ के अनुसार यानी प्रथम पक्ष के ४२ प्रतिशत व द्वितीय पक्ष के ५८ प्रतिशत कक्ष व प्लॉटों के संख्या अनुसार पूरक विलेख के माध्यम से जो १०० रुपये के स्टाम्प पर उभय पक्षों द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित कराते हुए निष्पादित किया जायेगा, इस अनुबन्ध विलेख का अंश होगा।

यह कि सम्पूर्ण भूखण्ड जिसके अन्तर्गत आवासीय निर्माण होगा, निर्मित क्षेत्रफल "निर्मित" की संज्ञा में मान्य होगा एवं सम्पूर्ण भूखण्ड के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त जो खुला भाग प्लॉट धारकों के आवागमन, हवा-पानी व अन्य सुविधाओं के लिये खुले रूप में विद्यमान रहेगा वह "अनिर्मित" की संज्ञा में आयेगा, जिसमें भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकतानुसार निर्माण बिना एक दूसरे की संयुक्त सहमति से कोई भी पक्ष नहीं करायेंगे।

यह कि द्वितीय पक्ष भवन निर्माता प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों के निर्माण में लगने वाले सम्पूर्ण धनराशि को स्वयं वहन करेगा एवं द्वितीय पक्ष प्रस्तावित कक्ष, प्लॉटों / बहुखण्डीय प्लॉटों के निर्माण में उच्चकोटि के सामग्री का प्रयोग करेगा।

यह कि भवन निर्माता द्वितीय पक्ष अपनी तरफ से वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग, अग्नि शमन आदि विभागों से स्वयं के खर्च पर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया आदि निष्पादित करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी यथा मानचित्र स्वीकृति, विद्युत व जल कनेक्शन आदि को निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना, जिसमें प्रथम



Handwritten signature and three fingerprints at the bottom right of the page.

- २१- यह कि इस अनुबन्ध विलेख (डेवलपर्स एग्रीमेन्ट) में पक्षकारण के मध्य सामान्य अनुबन्ध के रूप में तथ्य निष्पादित हो रहा है, जो पक्षकारण के उत्तराधिकारी व स्थानापन्नों पर बाध्यकारी होगा। उभय पक्षों की सुविधानुसार प्रतिशत का विभाजन प्रस्तर ३,४,५, व ६ में विस्तृत रूप से प्रस्तावित कक्षों व फ्लैटों के निर्माण के संबंध में अंकित है, जिसमें प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का स्वामित्व जिन-जिन कक्षों व फ्लैटों पर प्राप्त है व होगा, की उभय पक्ष स्वीकार कर रहे हैं, इस स्थिति में आच्छादित वर्गीकृत की गणना उपर्युक्त वर्णित प्रतिशत अनुसार कक्षों व फ्लैटों की संख्या व उसकी स्थिति अनुसार की गयी है, जो उभय पक्षों में मान्य है।
- २२- यह कि भवन निर्माण में लगाने वाले समस्त खर्चों का लेखा जोखा एवं नियमित अधिकार द्वितीय पक्ष रखेंगे। इसमें प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा और न तो निर्माण से सम्बन्धित खर्च का प्रथम पक्ष से कोई वास्ता सरोकार व अधिकार होगा।
- २३- यह कि द्वितीय पक्ष अपने प्रस्तावित भवन का नाम रखेगा एवं बोर्ड आदि लगाने का पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।
- २४- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कुल ₹० ३५,००,०००/- (पचीस लाख), जरिये एकाउन्ट पेई चेक संख्या १००१२३ मूल्य २,००,०००/- दिनांक ०७.१०.२०१६ बनाम आनन्द सिंह व जरिये एकाउन्ट पेई चेक संख्या १००११५ मूल्य ४,००,०००/- दिनांक ०१.११.२०१६ बनाम विनोद सिंह व जरिये एकाउन्ट पेई चेक संख्या १००११६ मूल्य ४,००,०००/- दिनांक ०१.११.२०१६ बनाम आनन्द सिंह व जरिये एकाउन्ट पेई चेक संख्या १००११७ मूल्य ५,००,०००/- दिनांक ११.११.२०१६ बनाम विनोद सिंह व जरिये एकाउन्ट पेई चेक संख्या १००११८ मूल्य १०,००,०००/- दिनांक ११.११.२०१६ बनाम आनन्द सिंह सभी केनरा बैंक, दिल्ली शाखा, वाराणसी बतौर जमानत प्रदान किया जा रहा है, जो धनराशि प्रथम पक्ष सम्पूर्ण निर्माणोपरान्त बिना ब्याज के द्वितीय पक्ष को प्रदान करते हुए उसकी पावती प्राप्त कर लेगा, यदि उक्त धनराशि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रदान करने में असफल रहता है तो उस परिस्थिति में यह शर्त उभय पक्षों के मध्य मान्य है कि प्रथम पक्ष प्रथमतः अपने स्वामित्व में प्राप्त आवास को विक्रय करते हुए प्राप्त विक्रय मूल्य से अदायगी द्वितीय पक्ष को करेगा एवं प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व वाले आवास के प्रत्येक विक्रय विलेख में द्वितीय पक्ष को पुष्टिकर्ता विलेख योजित करेगा परन्तु अग्रिम धनराशि द्वितीय पक्ष को प्रदान करने के पश्चात यह शर्त उभय पक्षों के मध्य स्वयमेव निरस्त हो जायेगी।
- २५- यह कि परिशिष्ट-क वाली सम्पत्ति पर अद्यतन कुछ निर्माण अवस्थित है, उसे गिराना है, जिसमें समय लगेगा, उभय पक्षों के मध्य निर्माण से संबंधित समस्त बातें तय हो चुकी हैं और द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को जमानत धनराशि भी प्रदान की जा रही है, इसलिये द्वितीय पक्ष ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु भविष्य में यही डेवलपर्स एग्रीमेन्ट पंजीकृत कराने के पूर्व यह अनुबन्ध पक्षों द्वारा निष्पादित करते हुए नोटरी से सत्यापित करा रहा है जो विधिक रूप से उभय पक्षों के मध्य मान्य होगी, साथ ही साथ अवस्थित निर्माण अधिकतम आज की तिथि से दो माह पन्द्रह दिन के अन्दर प्रथम पक्ष द्वारा गिराया जायेगा। यदि प्रथम पक्ष दो माह के अन्दर गिराने में असफल रहता है तो जितने माह गिराने में अतिरिक्त लगेगें, उस अतिरिक्त माह का प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को हर्जाना के रूप में २,००,०००/- रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगा।



Signature of the official.

Signature of the official.

Signature of the official.



(C)

२६. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को निर्माण अवधि यानी जिस अवधि तक द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को निर्माण पूर्ण कराकर प्रथम पक्ष का अध्यासन उसके स्वामित्व वाले प्लॉट व कक्षा पर नहीं करा देगा, तब तक द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को आवासीय व्यवस्था किराये पर उपलब्ध करायेगा। मासिक किराये का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जायेगा जो धनराशि अग्रिम धनराशि अथवा जमानत की धनराशि में सम्मिलित होगा, न ही व्यय धनराशि के सापेक्ष किसी प्रकार का कोई क्लेम द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से भविष्य में करेगा।
२७. यह कि इस अनुबन्ध विलेख के अन्त में विस्तृत रूप से तीन परिशिष्टों यानी परिशिष्ट 'क', परिशिष्ट 'ख' एवं परिशिष्ट 'ग' को उल्लिखित किया गया है, जो परिशिष्ट 'क' जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण सम्पत्ति का विस्तृत विवरण अंकित है, पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध विलेख के सापेक्ष उपर्युक्त वर्णित प्रतिज्ञातानुसार कक्षा व प्लॉटों के निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करते हुए स्वामित्व का विभाजन किया गया है व परिशिष्ट 'ख' के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के समस्त स्वामियों के कक्षा व प्लॉटों को संलग्न मानचित्र अनुसार अंकित किया गया है, जिस पर प्रथम पक्ष का स्वामित्वपूर्ण अधिकार विद्यमान होगा और इसी प्रकार परिशिष्ट 'ग' अन्तर्गत वर्णित समस्त कक्षा/प्लॉट पर हस्तान्तरण युक्त स्वामित्व द्वितीय पक्ष का विद्यमान होगा। प्रत्येक पक्ष अपने-अपने स्वामित्वपूर्ण सम्पत्ति का अन्तरण करने हेतु बिना एक दूसरे के अपवर्जन के उपर्युक्त प्रस्तर व शर्तानुसार स्वतंत्र होंगे।
२८. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पत्ति जिसका सम्पूर्ण विवरण इस अनुबन्ध विलेख के अन्त में परिशिष्ट 'क' में दिया जा रहा है, पर जो आवासीय भूखण्डों का निर्माण कराया जायेगा, में उपरोक्तानुसार प्रस्तरों में वर्णित स्वामित्व विभाजन अनुसार निर्मित व अनिर्मित भाग जो विस्तृत रूप से इस विलेख के अन्त में परिशिष्ट-ग अन्तर्गत अधिकांकित किया गया है, उन भूखण्डों के विक्रय के बावत अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा इसमें प्रथम पक्ष को न कोई आपत्ति है न भविष्य में होगी। निम्नवर्णित सम्पत्ति पर निर्मित प्लॉटों का स्वामित्वपूर्ण आवंटन इस डेवलपर्स एजीमेंट से संलग्न मानचित्र द्वारा किया गया है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर रहे हैं एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग, नगर निगम व अन्य कोई विभाग में आवश्यक पेश्वी करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष श्री आयुलोच राय निदेशक मैसर्स अदिनी वैष्णो इन्फ्रा प्रा० लि० को प्रदान किया जाता है जिन्हें उपर्युक्त वर्णित शर्तानुसार प्लॉटों व उसके अनुपात में दर आवे भूभाग (प्रपोजेन्टे लैंड) को अपने हस्ताक्षर से पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
२९. यह अनुबन्ध विलेख कुल १००/-, १००/- रुपये के स्टाम्प पर दो प्रतियों में तैयार किया गया है, दोनों प्रतियाँ समान विधिक अस्तित्व की होंगी। एक-एक प्रति उपर्युक्त अपने-अपने पास रखेंगे।
३०. यह कि पक्ष ने इस अनुबन्ध विलेख वास्तु करने निर्माण में वर्णित समस्त शर्तों एवं शर्तों को विधिवत पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ लिया है जिसकी सम्पूर्ण प्रतिबद्धता पक्ष एवं उसके उत्तराधिकारियों एवं उत्तरजीवियों पर है व रहेगी।
- अतएव यह अनुबन्ध विलेख (डेवलपर्स एजीमेंट) मय अधिकार पत्र वास्तु करने निर्माण व अन्तरण उभय पक्षों द्वारा लिख दिया एवं हस्ताक्षरित करते हुए इसका निष्पादन किया जा रहा है ताकि भविष्य में काम आवे एवं प्रमाण रहे।



Beena Srivastava
Civil Court, Lucknow
Reg. No. 1034/1980
Exp. 10/10/2020

Beena Srivastava

Beena Srivastava

Beena Srivastava

परिशिष्ट- 'क'

प्रथम पक्ष की भूमि का विवरण जिस पर आवासीय भवन

द्वितीय पक्ष द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है

अंश भाग आराजी नंबर १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, प्लॉट नंबर २, अशोक नगर कालोनी जिसका नगर निगम वाराणसी द्वारा भवन संख्या सा.१८/१०६-ए-२-एन है, क्षेत्रफल ११८५९ वर्गफीट यानी ११०२.१३ वर्गमीटर, स्थित मौजा हाल, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में सुर्ख तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नवत हैं-

- पूरब - ६० फीट चौड़ी पक्की सड़क
 पश्चिम - प्लॉट नंबर १०१ अशोक नगर कालोनी
 उत्तर - पंचकोशी रोड़
 दक्षिण - प्लॉट नंबर १२, १३, १४, १५ अशोक नगर कालोनी।

परिशिष्ट- 'ख'

विवरण सम्पत्ति जिस पर प्रथम पक्ष का स्वामित्वपूर्ण अधिकार है व रहेगा

अंश भाग आराजी नंबर १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, प्लॉट नंबर २, अशोक नगर कालोनी जिसका नगर निगम वाराणसी द्वारा भवन संख्या सा.१८/१०६-ए-२-एन है, क्षेत्रफल ११८५९ वर्गफीट यानी ११०२.१३ वर्गमीटर, स्थित मौजा हाल, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला वाराणसी, में भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल कुल आच्छादित १००८० वर्गफीट व उससे संलग्न अनुपातिक भूभाग व तृतीय, चतुर्थ तल पर निर्मित प्लैट कुल आच्छादित ७२२४ वर्गफीट जिसे संलग्न मानचित्र संख्या भूभाग १, २, ३, ४, ५ में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नवत हैं--

- पूरब - ६० फीट चौड़ी पक्की सड़क
 पश्चिम - प्लॉट नंबर १०१ अशोक नगर कालोनी
 उत्तर - पंचकोशी रोड़
 दक्षिण - प्लॉट नंबर १२, १३, १४, १५ अशोक नगर कालोनी।

परिशिष्ट- 'ग'

विवरण सम्पत्ति जिस पर द्वितीय पक्ष का स्वामित्वपूर्ण अधिकार है व रहेगा

अंश भाग आराजी नंबर १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, प्लॉट नंबर २, अशोक नगर कालोनी जिसका नगर निगम वाराणसी द्वारा भवन संख्या सा.१८/१०६-ए-२-एन है, क्षेत्रफल ११८५९ वर्गफीट यानी ११०२.१३ वर्गमीटर, स्थित मौजा हाल, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला वाराणसी, में भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल कुल आच्छादित १३२२० वर्गफीट व उससे संलग्न अनुपातिक भूभाग व तृतीय व चतुर्थ तल पर निर्मित प्लैट कुल आच्छादित ९९७६ वर्गफीट जिसे संलग्न मानचित्र संख्या १, २, ३, ४, ५ में हरे तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नवत हैं--

- पूरब - ६० फीट चौड़ी पक्की सड़क
 पश्चिम - प्लॉट नंबर १०१ अशोक नगर कालोनी
 उत्तर - पंचकोशी रोड़
 दक्षिण - प्लॉट नंबर १२, १३, १४, १५ अशोक नगर कालोनी।



Handwritten signature and date: 24/11/18

(90)

तहरीर तारीख: १४.११.२०१६.

साक्षीगण:

१. नाम: Rajiv Chakraborty
पिता का नाम: Late Kamesh Prasad Chakraborty
पुरा पता: B-32/32-87, Saket Nagar, Saket Mochan
हस्ताक्षर: Rajiv

२. नाम: शिवी राजीव
पिता का नाम: शिवी राजीव
पुरा पता: 0-110-554/E Shikhar, Saket Nagar
हस्ताक्षर: Rajiv

मसखिदाकर्ता:



Beena Srivastava
अनुप कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट,
दीवानी कचहरी, वाराणसी

Beena Srivastava
हॉटेल कम्यूटर
दीवानी कचहरी, वाराणसी

I have duly affirmed before me today at 14/11/16
in presence of the affiant and the contents of the affidavit were read over
to the affiant who verified same to be true. Beena Srivastava

Beena Srivastava
NOTARY, Varanasi